न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17-6-19	वकील वादी उप० । बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दि० 26-6-19 को पेश हो।
26-6-19	वकील वादी उप० । आज बार द्वारा कार्य स्थगन है। वास्ते आदेश दिनांक 28-6-19 को पेश हो।
28-6-19	वकील वादी उप० । वाद वादी सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
151	20-10-16	28-6-19

उनवान

1- आसू पुत्र भुल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मोठूका तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादी

बनाम

1- ईसब पुत्र रसूला मेव निवासी मोठूका

2- सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार किशनगढ़-बास

:-प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज रिकार्ड

उपस्थिति:-1- श्री मौ.इमरान वकील वादी की ओर से

2-प्रति. नं. 1 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- वादी ने वाद पेश किया कि साबिक आ.ख.नं. 791/1-01, 787/1-01 जिनके हाल ख.नं. 670/1-01, 671/1-01 वाके ग्राम मोठूका का मालिक नूरखां पुत्र फूलखां व मामला मालिक खातेदार थे। जिन्होने उक्त विवादित आराजी को सन् 1944 में वादी व प्रतिवादी के बुजुर्ग दादा उम्मेद वल्द झब्बू मेव व चाहत पुत्र धीग्डा को बाकब्जा रहन की थी जिसका अमल साबिक जमाबन्दी में हो रहा है। नूरखां पुत्र फूलखां पाकिस्तान चला गया।

विवादित आराजी पर अर्सा दराज से वादी के बुजुर्गान व वादी काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी वादी व प्रति. नं. 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। जिस पर शामलात में काबिज काश्त है। वादी के परिवार का शजरा वाद में दर्ज किया जा रहा है। वादी व प्रति. नं. 1 का उम्मेद खास दादा थे उम्मेद के दो बेटे भूल्लू व रसूला है वादी भुल्ला का पुत्र है तथा प्रतिवादी इसब रसूला का पुत्र है।

राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से इसब व रसूला दोनों के नाम का अंकन कर दिया गया है, जबकि सही यह है कि रसूला इसब का पिता है। रसूला की मृत्यु के पश्चात् ईसब के नाम विरासत आ

गई है। परन्तु जमाबन्दी हाल में नूरखां पुत्र श्री फूलखां मेव सा. देह राहिन इसब भुल्लु पि. उम्मेद रसूला समभाग मेव सा. देह मुर्तहिन अंकित है जो खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड है जमाबन्दी हाल में उक्त अंकन को तरमीम कर भुल्लू पुत्र उम्मेद ईशब पुत्र रसूला अंकित किया जावे।

अन्त में वादी ने अपने वाद निम्न प्रकार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है :-

1- यह है कि वादी की आराजी की जमाबन्दी से नूरखां पुत्र फूलखां मेव के नाम को हजफ किया जावे तथा वादी व प्रतिवादी को आराजी का खातेदार घोषित किया जावे मुर्तहिन शब्द को हजफ किया जावे।

2- यह है कि हाल जमाबन्दी में अंकित ईसब के नाम को हजफ किया जावे तथा भुल्लू पुत्र उम्मेद इसब पुत्र रसूला समभाग मेव सा. देह खातेदार का अंकन किया जावे।

3- दीगर दादरसी।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति. नं. 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुवा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रति. नं. 2 ने निवेदन किया कि वादी अपने वाद को स्वयं सिद्ध करें।

इसके पश्चात् वादी की साक्ष्य ली गई। वादी ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पी. डब्लु 1, फद्दू पुत्र उम्मेद पी. डब्लु 2, के शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं. 2072-75 प्रदर्श 1, नकल ख. गि. सं. 2059-72 प्रदर्श 2, नकल ख. गि. सं. 2031-35, प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सं. 2035-39 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सं. 2048प्रदर्श 5, नकल मिलानक्षेत्रफल प्रदर्श 6 पेश किये हैं। इसके पश्चात् नकल जमाबन्दी सं. 2035, नकल जमाबन्दी सं. 2039, नकल इन्तकाल 878 व 879 पेश किये हैं।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को ही दोहराया और बताया कि इस आराजी का मालिक नूरखां पुत्र फूलखां था जिसने हमारे बुजुर्गान को सन् 1944 में रहन रखी थी। सन् 1947 में नूरखां पाकिस्तान चला गया हमें रहन रकम भी वापिस नहीं की तब से हम काबिज काश्त चले आ रहे हैं। राहिन मुर्तहिन को हजफ किया जाकर हमें काबिज खातेदार घोषित किया जावे पुष्टि में मैंने राजस्व रिकार्ड पेश किया है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी स्वयं ने अपने वाद में कथन किया है कि उक्त

--3--

Scanned by CamScanner

आराजी का मालिक नूरखां पुत्र फूलखां था जो हमारे बुजुर्गान को इस भूमि को सन् 1944 में रहन रख कर हमें काबिज कराकर सन् 1947 में बिना रहन की रकम वापिस किये पाकिस्तान चला गया। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार भी आराजी नूरखां पुत्र फूलखां मेव सा. देह राहिन ईसब, भूल्लू नि. उम्मेद रसूला समभाग मेवसा. देह मुर्तहन दर्ज रिकार्ड है जिससे यह तथ्य बाखूबी साबित है कि आराजी विवादित निष्क्रान्त{कस्टोडियन} भूमि रहन मुर्तहिन की है। प्रस्तुत वाद के जरिये वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। निष्क्रान्त रहन मुर्तहन की भूमि पर खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक :एफ-1{15}राजस्व/पुनर्वास/2009 दिनांक 6-10-09 के संशोधित परिपत्र क्रमांक :प-1{15} पुनर्वास/2009 दिनांक 30-3-12 के प्रावधानों के अनुसार राजकीय राशि जमा होने पर ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं।

अतः आदेश है कि:-

प्रस्तुत वाद में आराजी विवादित आ. ख. नं. हाल 670/1-01, 671/1-01 वाके ग्राम मोठूका तहसील किशनगढ-बास निष्क्रान्त राहिन मुर्तनि की होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। खर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास{अलवर}

लय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

नं. प्रवेश तिथि 20.10.16 निर्णय दिनांक 28.6.19

उनवान

ासू पुत्र भुल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:–वादी0:–

बनाम

सब पुत्र रसूला मेव निवासी मोठूका

रकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार किशनगढबास

:– प्रतिवादीगण:–

दावा दुरूस्ती इन्द्राज रिकार्ड

उपस्थिति:–1.श्री मौ0 इमरान वकील वादी की ओर से

2.प्रति0नं0 1 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

पर्चा डिक्री

तुत वाद में आराजी विवादित आ0ख0नं0 हाल 670/1–01, 671/1–01 वाके ग्राम मोठूका किशनगढबास निष्क्रांत राहिन मुर्तहन की होने के कारण वादी खारिज किया जाता है। ाद वादी स्वयं वहन करेगा।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner